जमानत प्रकरण क्रमांक-**1738/2026**
राजा घरामी वि0 छत्तीसगढ़ शासन
CNR No.-CGBI-010056712026

न्यायालय–नवम् अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर छ.ग.
(पीठासीन अधिकारी–अगम् कुमार कश्यप)

CNR No.-CGBI-010056712026

जमानत प्रकरण क्रमांक–1738/2026
आरक्षी केंद्र–तारबाहर, बिलासपुर छ.ग.
अपराध क्रमांक–155/2026
संस्थित दिनांक –11–08–2026
आदेश दिनांक –13–08–2026

आवेदक/अभियुक्त	राजा घरामी, पिता रंजन घरामी, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी–ग्राम डिगमा, नेहरुनगर, थाना गांधी नगर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
आवेदक/अभियुक्त द्वारा	श्री अजय कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता।
अनावेदक/अभियोजन	छत्तीसगढ शासन द्वारा–थाना तारबाहर, बिलासपुर जिला–बिलासपुर (छ.ग.)
अभियोजन द्वारा	श्री संजय कुमार साहू, अपर लोक अभियोजक।

//आदेश//
(आज दिनांक–13–08–2026 को पारित)

01– इस आदेश द्वारा आवेदक/अभियुक्त **राजा घरामी** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का निराकरण किया जा रहा है।

02– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र की कंडिका–01 में तथा जमानत आवेदन पत्र के समर्थन में प्रस्तुत आवेदक/अभियुक्त की माता पूर्णिमा घरामी के शपथपत्र की कंडिका–02 में यह लेख किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम जमानत आवेदन है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ना तो प्रस्तुत किया गया है, ना ही निराकृत हुआ है।

03– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध थाना तारबाहर, जिला बिलासपुर छ.ग. के द्वारा अपराध क्रमांक–155/2026 अंतर्गत धारा 318(4), 112, 3(5) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया है। उक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र को न्यायालय–कुमारी सिद्धि व्होरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर के द्वारा निरस्त किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कही भी आवेदक/अभियुक्त का नाम उल्लेखित नहीं है तथा

13.8.26

उसे मात्र इस आधार पर प्रकरण में सम्मिलित किया गया है कि मुख्य अभियुक्त के मोबाईल नंबर में आवेदक/अभियुक्त के नाम अथवा संपर्क का विवरण प्राप्त हुआ है, उक्त तथ्य स्वयं में किसी आपराधिक षडयंत्र अथवा अपराध में संलिप्तता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। आवेदक/अभियुक्त लगभग 22 वर्षीय छात्र है, जिसने सामान्य विश्वास के कारण अपना बैंक खाता संबंधी विवरण सहअभियुक्त नवनीत मिश्रा के साथ साझा किया था। आवेदक/अभियुक्त को इस बात का कोई ज्ञान या अनुमान नहीं था कि उक्त बैंक खाता का उपयोग किसी अवैध धोखाधडी गतिविधि में किया जायेगा। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या एवं निराधार रुप से अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा ना तो किसी व्यक्ति से छल अथवा कपटपूर्वक धन प्राप्त किया गया है और ना ही किसी प्रकार की धोखाधडी, कूटरचना अथवा अन्य अवैध गतिविधि में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से भाग लिया है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है, जिससे उसकी संलिप्तता प्रथमदृष्ट्या सिद्ध होती हो। आवेदक/अभियुक्त पर आक्षेप नहीं है कि उसने शिकायतकर्ता अथवा किसी पीडित पक्ष से संपर्क स्थापित किया, धनराशि अंतरण हेतु प्रेरित किया, किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरुपण किया, किसी फर्जी वेबसाईट, मोबाईल ऐप अथवा डिजिटल प्लेटफॉर्म का संचालन किया अथवा किसी भी प्रकार से शिकायतकर्ता को प्रत्यक्ष रुप से धोखा देकर अनुचित लाभ प्राप्त किया। प्रकरण में विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त आवेदन पत्र में वर्णित पते का स्थाई निवासी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का अक्षरशः पालन करेगा, अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

04- जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये। आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में उल्लेखित कथन के समरूप तर्क प्रस्तुत किया गया है।

05- अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता के दृष्टिगत आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

06- उभयपक्षों के तर्क के परिप्रेक्ष्य में थाना तारबाहर, जिला बिलासपुर छ.ग. के अपराध क्रमांक-155/2026 अंतर्गत धारा 318(4), 317(4), 112, 3(5) भारतीय न्याय संहिता से उद्भूत न्यायालय-कुमारी सिद्धि व्होरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर छ.ग. के दांडिक प्रकरण क्रमांक-9553/2026 (छत्तीसगढ़ शासन वि0 दीपेश कुमार गुप्ता वगैरह) के मूल अभिलेख का परिशीलन किया गया।

19.8.26

07– मूल अभिलेख के परिशीलन से दर्शित है कि दिनांक 13–05–2026 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति काले रंग की टी–शर्ट पहना हुआ स्टेट बैंक के आसपास व्यापार विहार बिलासपुर में खडा है और बैंक आने–जाने वालों से उनका खाता नंबर मांगकर बदले में कमीशन देने का प्रलोभन दे रहा है। उक्त मुखबीर सूचना पर मुखबीर सूचना पंचनामा दिनांक 13–05–2026 को समय 15:10 बजे तैयार कर गवाह फ्रांसिस एवं राजा यादव को नोटिस देकर हमराह स्टाफ एवं गवाह के साथ मौके पर देखने पर स्टेट बैंक के सामने व्यापार विहार में एक काले रंग की टी–शर्ट पहना हुआ व्यक्ति दिखा, जो पुलिस टीम को आते देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे पकडकर पूछताछ किये जाने पर उसके द्वारा अपना नाम दीपेश कुमार गुप्ता निवासी–सूरजपुर बताया गया, जिसे पूछताछ हेतु थाना लेकर आने के पश्चात उसकी सहमति लेकर तलाशी लिये जाने पर उसके पास से सिम नंबर–9303008062 लगा हुआ एक सैमसंग कंपनी का मोबाईल मिला, जिसका पासवर्ड 123580 डालकर मोबाईल खोलकर देखने पर उसमें व्हाट्सएप पर विक्की पंडित मोबाईल नंबर–9770241994, शुभम पटेल मोबाईल नंबर–9713894589, आयुष मोबाईल नंबर–9981408836, आमिर मोबाईल नंबर–8815651512, अल्मास मोबाईल नंबर–97552527586 तथा नंबर–8349607009 नामक व्यक्तियों से व्हाट्सएप पर विभिन्न बैंकों के खाता नंबर की जानकारी मिली एवं विभिन्न मोबाईल धारकों से खाता लेना एवं खाता नंबर देना पाया गया। आवेदक/अभियुक्त का उक्त कृत्य विभिन्न व्यक्तियों के साथ मिलकर संगठित रुप से म्यूल एकाउंट के माध्यम से वित्तीय धोखाधडी कर कमीशन प्राप्त करना पाये जाने पर आवेदक/अभियुक्त सहित अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध विवेचना उपरांत अभियोग–पत्र उपरोक्त धाराओं के तहत संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

08– मूल अभिलेख के परिशीलन से आवेदक/अभियुक्त राजा घरामी के मोबाईल नंबर से अंतर्राष्ट्रीय नंबर + 447229782155 से म्यूल खाते के संबंध में चैट (Chat) किया जाना अभिकथित है तथा उक्त चैटिंग से संबंधित दस्तावेज को प्रकरण में संलग्न किया गया है। अभिलेख के परिशीलन से वर्तमान आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध साईबर फ्रॉड के अपराध में अंतर्राष्ट्रीय नंबर से भी संपर्क होना अभिकथित है। मूल अभिलेख के परिशीलन से म्यूल बैंक खातों के माध्यम से धोखाधडी किये जाने के संबंध में संबंधित दस्तावेज संलग्न होना दर्शित है।

09– आवेदक/अभियुक्त के द्वारा सायबर फ्रॉड के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नंबर से भी संपर्क होने, वर्तमान में सायबर फ्रॉड की लगातार बढती हुई घटनाओं, आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध संगठित रुप से आर्थिक अपराध कारित करने, अभियोजन द्वारा एकत्रित साक्ष्य एवं प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा प्रकरण की प्रकृति के दृष्टिगत आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित नहीं होता है, अतः **आवेदक/अभियुक्त राजा**

13.8.26

घरामी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता **निरस्त** किया जाता है।

10– आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को मूल अभिलेख सहित सूचनार्थ प्रेषित किया जावे।

11– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **In Re Policy Strategy for Grant of Bail 2023 SCC Online SC 483** एवं माननीय छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के **CRA No.-1004 of 2015** में पारित आदेश दिनांक 18-01-2024 के निर्देशानुसार आदेश की प्रति अभियुक्त को, जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, बिलासपुर को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जावे।

तद्नुसार जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निराकृत किया गया।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

19.8.26

(अगम कुमार कश्यप)
नवम् अपर सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर छ.ग.

मेरे निर्देशन पर टंकित
कि या गया।

19.8.26

(अगम कुमार कश्यप)
नवम् अपर सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर छ.ग.